छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय, रायपुर

(14)

कमांक एफ 3–2/2012/स.क./26 रायपुर, दिनांक 02/03/2012

प्रति,

संचालक
पंचायत एवं समाज सेवा
संचालनालय छ.ग.रायपुर

विषय :– वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना अन्तर्गत कार्यकमों का संचालन।

—0—

राज्य शासन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं/कार्यकमों का संचालन हेतु निर्णय लिया गया है।

उक्त योजना/कार्यकम को छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के यू.ओ.कमांक 230/10000504/ब–1/चार दिनांक 26.8.11 द्वारा स्वीकृति दी गई है।

वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणार्थ योजनाएं/कार्यकम निम्नानुसार होंगे :–

1 बहुसेवा केन्द्र संचालन

उद्देश्यः– वरिष्ठ नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए उन्हें प्राथमिक उपचार, देखभाल तथा मनोरंजन के अवसर उपलब्ध कराना एवं जन समुदाय में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।

केन्द्र की क्षमता एवं कार्य :–

प्रत्येक केन्द्र में न्यूनतम 25 एवं क्षेत्र विशेष की आवश्यकता तथा वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं देने का आकलन कर केन्द्र की क्षमता अनुसार हितग्राही की अधिकतम संख्या का निर्धारण संस्था द्वारा स्वयं किया जावेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिन में पूर्वान्ह 10.30 से अपरान्ह 5.30 बजे तक देखभाल, शैक्षणिक एवं मनोरंजक गतिविधियां, प्राथमिक चिकित्सा तथा पौष्टिक स्वल्पाहार की व्यवस्था होगी।

कियान्वयन का अभिकरण :–

समाज कल्याण विभाग के अनुदान नियम अन्तर्गत बहुसेवा केन्द्र संचालन के लिए निम्नांकित अभिकरणों को अनुदान प्रदान किया जावेगा:–

(i) पंचायतीराज संस्थाएं/नगरीय निकाय
(ii) समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाएं
(iii) राज्य शासन द्वारा स्वायत्त शासी/अधीनस्थ निकायों के रूप में गठित संस्थाएं और संगठन।
(iv) शासकीय मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान, दानार्थ अस्पताल/नर्सिंग होम, नेहरू युवा केन्द्र।

Scanned by CamScanner

अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों हेतु पात्रता :–

(i) अशासकीय स्वैच्छिक संगठन को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत पंजीकृत होकर कम से कम 03 वर्ष से कार्यरत होना चाहिए या उसे तत्समय प्रभावशील किसी विधि के अन्तर्गत पंजीकृत लोक न्यास (पब्लिक ट्रस्ट) होना चाहिए या उसे कम्पनी अधिनियम 1958 की धारा 525 के अधीन लाइसेंस शुदा एक चेरिटेबल कम्पनी होना चाहिए।

(ii) पंचायती राज संस्थाओं का पंजीयन आवश्यक नहीं होगा।

(iii) अशासकीय स्वैच्छिक संगठन में एक विधिवत् गठित प्रबंधकारिणी होगी, जिसकी शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित तथा लिखित संविधान में दिये अनुसार होंगे, इसका एक सम्यक प्रशासनिक ढांचा होगा।

(iv) अशासकीय स्वैच्छिक संगठन को छ.ग.शासन समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

केन्द्र में दी जाने वाली सुविधाएं :–

(i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त स्थान तथा बैठने की व्यवस्था आवश्यक होगी।

(ii) केन्द्र में पर्याप्त रोशनी, शीतल जल एवं वरिष्ठ नागरिकों की आयु के अनुरूप आरामदायक फर्नीचर की व्यवस्था होगी।

(iii) संचालित केन्द्र का टायलेट बाधारहित होगा तथा उनकी साफ–सफाई की पर्याप्त व्यवस्था होगी।

(iv) वरिष्ठ नागरिकों को दिये जाने वाले स्वल्पाहार में पौष्टिकता एवं गुणवत्ता हेतु डाइटिशियन की सेवाएं लिया जाना अनिवार्य होगा।

(v) वरिष्ठ नागरिकों का प्रत्येक सप्ताह स्वास्थ्य परीक्षण होगा। इस हेतु संस्था, पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराएगी।

(vi) केन्द्र में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की प्राथमिक जांच कराकर स्वास्थ्य सम्बन्धी नस्ती रखी जायेगी तथा विशेषज्ञों से परामर्श हेतु, वरिष्ठ नागरिकों को स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

(vii) संस्था के सम्बन्ध में शिकायत हेतु माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अधीन गठित अपील अधिकरण में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

Scanned by CamScanner

(viii) केन्द्र में सेटेलाइट चैनल के साथ टी.वी.की स्थापना, पत्र–पत्रिकाएं, समाचार–पत्र, इण्डोर खेल सामग्री जैसे कैरम, शतरंज, लुडो आदि की आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जावेगी।

(ix) केन्द्र में महिलाओं के लिए पृथक से कक्ष की व्यवस्था होगी।

(x) संस्था अपने स्वयं के संसाधनों से कम्प्यूटर की व्यवस्था कर इन्टरनेट की सुविधा उपलब्ध करा सकती है किन्तु यह अनिवार्य नहीं होगा।

(xi) केन्द्र में पृथक से एक बड़ा हाल होगा, जिसमें भौतिक उपचार सम्बन्धी उपकरणों की व्यवस्था की जावेगी। वरिष्ठ नागरिकों को मोबीलिटी एड तथा श्रवण यंत्र सामर्थ्य विकास योजना अन्तर्गत प्रदान करने हेतु जिला संयुक्त/उप–संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण से समन्वय करेगा।

कियान्वयन एवं मूल्यांकन समिति

बहुसेवा केन्द्र के संचालन, मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समिति प्रत्येक 03 माह में अपना प्रतिवेदन पंचायत एवं समाज सेवा, संचालनालय छ.ग.को प्रस्तुत करेगी:–

1.	कलेक्टर	–	अध्यक्ष,
2.	संयुक्त/उप–संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण	–	सदस्य, सचिव
3.	जिला विधिक सहायता अधिकारी	–	सदस्य
4.	वरिष्ठ नागरिक संघ के प्रतिनिधि	–	सदस्य
5.	सम्बन्धित संस्था के अध्यक्ष/सचिव	–	सदस्य
6.	सामाजिक कार्यकर्ता	–	सदस्य

बहुसेवा केन्द्र संचालन हेतु मानदण्ड

क.	मद का नाम	राशि प्रतिमाह	राशि प्रतिवर्ष
1	2	3	4
(अ)	**आवर्ती व्यय**		
1.	**कर्मचारियों का मानेदय**		
	प्रबंधक सह सामाजिक कार्यकर्ता	5000	60,000
	फिजियोथैरेपिस्ट	5000	60,000
	केयर टेकर	3500	42,000
	डाइटिशियन (प्रतिविजिट 300 प्रतिमाह 4 विजिट)	1200	14,400
	टेकनीशियन	2500	30,000
	अटेण्डेन्ट	2500	30,000
	अंशकालिक चिकित्सक (प्रति विजिट 500/– प्रतिमाह न्यूनतम 4 विजिट)	2000	24,000
2	भवन किराया	10,000	1,20,000
3.	साफ सफाई	3000	36,000

Scanned by CamScanner

4.	चिकित्सा सम्बन्धी जांच हेतु डिस्पोजिबल आइटम	3000	36,000
5.	स्वल्पाहार व्यय 25 रूपये प्रति हितग्राही प्रतिदिन	37,500	4,50,000
6.	विविध व्यय (जल, विद्युत एवं अन्य व्यय)	2500	30,000
	योग आवर्ती व्यय		**9,32,400**
(ब)	**अनावर्ती व्यय**		
	टी.वी. कम्प्यूटर, इण्डोर गेम, फर्नीचर, भौतिक चिकित्सा उपकरण आदि	–	2,45,000
	महायोग अ+ब		**11,77,400**

नोट :–25 हितग्राही से अधिक होने पर हितग्राही के मान से दिये जाने वाले मदों में अतिरिक्त राशि दी जा सकेगी। महिलाओं के लिए पृथक कक्ष की व्यवस्था की जावेगी।

2 वृद्धाश्रमों का संचालन

उद्देश्य :–

60 वर्ष या इससे अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल मनोरंजनात्मक सुविधाएं आदि उपलब्ध कराना।

कियान्वयन का अभिकरण :–

समाज कल्याण विभाग से मान्यता प्राप्त अशासकीय स्वैच्छिक संगठन अथवा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं/ नगरीय निकाय के माध्यम से संचालित किया जा सकेगा।

वृद्धाश्रम में दी जाने वाली सुविधाएं :–

(i) अन्तःवासियों को चाय–नाश्ता, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, दवाईयां, तेल, साबुन आदि प्रदान किये जायेंगे।

(ii) मनोरंजन, खेल, पत्र–पत्रिकाएं, टेलीविजन आदि सुविधाएं होगी।

(iii) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन।

(iv) प्रत्येक अन्तःवासी के लिए पृथक–पृथक बिस्तर, पलंग, मच्छरदानी आदि की व्यवस्था होगी।

(v) वृद्धाश्रम भवन परिसर में बगीचा होगा।

(vi) वृद्धाश्रम में पुरूष एवं महिला अन्तःवासियों के लिए पृथक बाधारहित टायलेट होंगे।

(vii) वृद्धाश्रम में अन्तःवासियों नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा।

(viii) भवन में पर्याप्त रोशनी, शीतल जल एवं बैठने के लिए आरामदायक फर्नीचर होंगे।

(ix) वृद्धाश्रम में संस्था द्वारा कलेक्टर अथवा सम्बन्धित जिले के संयुक्त/उप–संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण की अनुशंसा से हितग्राही को प्रवेश दिया जावेगा तथा हितग्राही का बायोडाटा रखा जावेगा।

Scanned by CamScanner

(x) अन्तःवासी की मृत्यु पर उनके धर्म के अनुसार अन्त्येष्ठी की जा सकेगी बशर्ते उनके परिवार का कोई भी सदस्य मृत्यु के 24 घण्टे के भीतर शव प्राप्त करने हेतु उपस्थित नहीं होते।

वृद्धाश्रम संचालन हेतु मानदण्ड (25 हितग्राहियों के लिए)

क्र.	मद का नाम	प्रतिमाह	राशि रू. प्रतिवर्ष
1	2	3	4
(अ)	आवर्ती व्यय		
1.	कर्मचारियों का मानेदय		
	प्रबंधक / अधीक्षक	5000	60,000
	सामाजिक कार्यकर्ता / काऊन्सलर नर्स	4000	48,000
	नर्स	4000	48,000
	रसोईया	3500	42,000
	रसोईया का सहायक	3000	36,000
	स्वीपर	3000	36,000
	भृत्य सह चौकीदार	3000	36,000
2	भवन (किराया एवं रख रखाव)	10,000	1,20,000
3.	स्वास्थ्य		
	भोजन, वस्त्र आदि / 600/– (प्रतिहितग्राही प्रतिमाह)	15,000	1,80,000
	चिकित्सक अंशकालिक (प्रतिविजिट 500/– न्यूनतम 04 विजिट प्रतिमाह)	2000	24,000
	दवाईयां	2000	24,000
	तेल, साबुन सेविंग आदि / 80/– प्रति हितग्राही प्रतिमाह	2000	24,000
4.	मनोरंजन (किताब, पत्रिकाएं, समाचार–पत्र, भ्रमण, धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन, कैरम ताश, शतरंज जैसे खेल इत्यादि	2500	30,000
5.	अन्य व्यय (विद्युत, जल, टेलीफोन आदि)	2000	24,000
	योग आवर्ती व्यय		7,32,000
(ब)	अनावर्ती व्यय		
	पलंग, बिस्तर बर्तन, टेलीविजन, खेल सामग्री आदि	–	1,50,000
	महायोग अ+ब		8,82,000

नोट :– 25 अन्तःवासियों से अधिक होने पर हितग्राही के मान से दिये जाने वाले मदों में अतिरिक्त राशि दी जा सकेगी। महिलाओं के लिए पृथक कक्ष की व्यवस्था की जावेगी।

अनुदान स्वीकृत करने की प्रकिया :–

1. संस्था को न्यूनतम 03 वर्षों से वृद्धाश्रम संचालन का अनुभव हो विशेष परिस्थितियों में यह संचालक के अनुमोदन से शीथिलनीय होगा।
2. विभागीय अनुदान नियम अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन–पत्र संलग्न हो।
3. विभागीय मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रस्ताव जिला कलेक्टर की अनुशंसा से संचालक पंचायत एवं समाज सेवा छ.ग. को प्रेषित किये जायेंगे जिनका अनुदान नियम

Scanned by CamScanner

अनुसार परीक्षण तथा विश्लेषण कर वित्तीय अधिकार पुस्तिका में दिये गये निर्देश अनुसार संचालक, समाज कल्याण छ.ग. अनुदान स्वीकृत कर सकेगा।

4. प्रदत्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से महालेखाकार, छ.ग. एवं संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, छत्तीसगढ़ को उपलब्ध कराना होगा।

5. स्वैच्छिक संस्थाओं को आवर्ती व्यय 90 प्रतिशत तथा अनावर्ती व्यय 70 प्रतिशत स्वीकृत किया जा सकेगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं/नगरीय निकायों को शत प्रतिशत अनुदान दिया जावेगा।

3 वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह

वरिष्ठ नागरिकों के प्रति समाज में सम्मानजनक वातावरण निर्मित करने के लिए 01 अक्टूबर अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक सम्मान समारोह का आयोजन किया जावे।

4 प्रचार–प्रसार

विभिन्न प्रचार–प्रसार माध्यमों से वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान जनक वातावरण तथा उनकी समस्याओं के निराकरण का प्रयास किया जावे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जेवियर कर्केट्टा) 1/3/2012
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग
रायपुर, दिनांक 02/03/2012

पृ.क्र. एफ 3–2/2012/स.क./26
प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय रायपुर।
2. प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर।
4. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय छ.ग. रायपुर।
5. समस्त कलेक्टर (छत्तीसगढ़)।
6. समस्त संयुक्त/उप–संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण (छत्तीसगढ़)।

1/3/2012
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
समाज कल्याण विभाग

Scanned by CamScanner